न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 1/2021
जीसीएमएसः– 2021/27

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.पुनमाराम पुत्र हरदा। 2.लाखाराम पुत्र गोवाराम। 3.नरिंगाराम पुत्र हरदा। 4.दरगीदेवी पत्नी गोवाराम जातियान–कलबी निवासीगण धानता तह–सांचौर जिला सांचौर		1. राणाराम पुत्र नारणाराम जाति कलवी निवासी धानता तह–सांचौर जिला सांचौर 2. व्यवस्थापक राज.मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सांचौर। 3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– तारीख रजूः– 15.02.2021

1. श्री जालाराम पुनिया, प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी संख्या 1 श्री सगताराम चौधरी अधिवक्ता।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 एक पक्षीय ।

निर्णय दिनांक 26.06.024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा धानता पटवार हल्का अरणाय तहसील सांचौर में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 3.03 हैक्टयर किस्म जाव सोयम , चाही सोयम के आये हुए है। उपरोक्त आराजी का प्रार्थीगण सदैव लगान अदा करता आ रहा है तथा गिरदावरी प्रार्थी के नाम तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमशुद्वा आये हुए है, लेकिन उक्त खेत की उत्तरी–पूर्वी माठ को अप्रार्थी संख्या 01 अपने खेत में मिलाने की चेष्टा करते रहते हैं। प्रार्थीगण को खेत की माठ पर वर्षो पुराने खड़े दरखत व थोर को काटकर माठ को अप्रार्थी तोड़ता रहता है तथा जबरन प्रार्थीगण के खेत को हड़पना चाहते है। प्रार्थीगण अत्यंत वृद्व अवस्था के व्यक्ति है। जिससे अप्रार्थी के झगड़े–टंटे का सामना नही कर सकते। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत की माठ तोड़कर सीमाएं नष्ट करते रहते है। इसका स्थाई हल मात्र खेतों की स्थाई नेखबन्दी,पत्थर चीणें, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता हैं इस कारण प्रार्थीगण ने सीमा चिन्हो के ज्ञान हेतु तहसीलदार सांचौर के कार्यालय में उपस्थित होकर भूमि पैमाईश कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसपर भूमिधारी तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रार्थी के आवेदन को रजिस्ट्रर के पृष्ठ संख्या 61 ,क्रमांक संख्या 33 दिनांक 22.06.2020 को दर्ज किया गया और जांच तथा सीमाज्ञान के लिए हल्का पटवारी सांचौर को आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांचौर के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी अरणाय मौके पर आये तथा मौका देखा तो मौजा धानता पटवारी हल्का अरणाय के खेत खसरा नम्बर 329,330,331 जुमले रकबा 4.64 हैक्टयर की पैमाईश मौके पर उपस्थित खातेदार राणाराम पुत्र नारणा जाति कलवी व आस पड़ौस उपस्थिति में खसरा नम्बर 329,330,331 का सीमाकन

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

करवाया गया तथा मौके पर माठ कायम की गई सभी के आपस सहमति जताई मौका रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर पढकर सुनाई गई।

इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 बार–बार माठे तोड़कर प्रार्थीगण के खेतो पर अतिक्रमण जमाकर कब्जा करने की कोशिश करते रहते है। इस कारण सीमा विवाद निपटारे हेतु उपरोक्त खेतो के चारो तरफ पत्थर गढ़ी की जानी न्यायहित में आवश्यक है । प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार तथा अपनी भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का माननीय अदालत में पेश किया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2021 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी बावजूद तामिल के अनुपस्थित, जवाब बन्द किया गया। व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्व लगातार अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीगण ने मौजा धानता पटवार हल्का अरणाय तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 3.03 हैक्टयर किस्म जाव सोयम , चाही सोयम भूमि की पैमाईश कर पत्थर गढ्ढी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना के साथ संलग्न जमांबदी , नक्शा के अनुसार प्रार्थीया के उक्त खातेदारी खेत की माठ के अलामात व सीमाज्ञान कर पत्थर गढढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हम प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार करना विधि संगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा मौजा धानता पटवार हल्का अरणाय तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 3.03 हैक्टयर भूमि भंली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 26.06.024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner